रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73 | REGISTERED No. D. (D.N.)-73

CK 29/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 1985/कार्तिक 20, 1907
No. 222] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 1985/KARTIKA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1985

संकल्प

सं. 5 (56)-सस्था. 3/83 :—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 1985 के समसंख्यक संकल्प द्वारा यथा-संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 29 जुलाई, 1983 के समसंख्यक संकल्प में दिये गये चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में संकल्प की

पैरा 2(5) के नीचे निम्न प्रकार से एक नया पैरा 2(क) जोड़कर और आगे संशोधित किया जाएगा :—

"2(क) : पेंशनभोगियों—भूतपूर्व तथा भावी दोनों के लिए उचित पेंशन संरचना रखने की दृष्टि से, विद्यमान पेंशन संरचना, जिसमें मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति लाभ भी शामिल हैं की जांच करने के लिए तथा अन्य संगत बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राज्य सरकारों आदि के कर्मचारियों को उपलब्ध सेवा-निवृत्ति लाभों, देश की आर्थिक स्थिति, केन्द्रीय सरकार के संसाधनों और विकासात्मक आयोजन, रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों जैसी उस पर पड़ने वाली मांगों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिफारिशें करना जो वांछनीय तथा व्यवहारिक हों ।"

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा अन्य सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए ।

एस. वेंकिटारमणन्, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure

New Delhi, the 8th November, 1985

RESOLUTION

No. 5 (56)-E. III|83 :—The Government of India have decided that the Terms of Reference of the Fourth Central Pay Commission as contained in this Ministry's Resolution of even number dated 29th July, 1983 as amended vide this Ministry's Resolution of even number dated 16th February, 1985 shall be further amended by addition of a new para 2(A) below para 2(5) of the Resolution as under :—

"2(A) :—To examine, with a view to having a proper pension structure for pensioners—both past and future—the existing pension structure ; including death-cum-retirement benefits, and make recommendations which may be desirable and feasible having regard, among other relevant factors, to the retirement benefits available to employees of the Public Sector Undertakings, State Governments etc., economic conditions in the country, the resources of the

Central Government and the demands thereon such as those on account of developmental planning, defence and national security."

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Fourth Central Pay Commission, Ministries|Departments of the Government of India, State Governments|Administrations of Union Territories and all others concerned.

S. VENKITARAMANAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985